

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प जैनपुर (जाधोली)

क्रि. सं 32/18
7/6/18

392
7/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जैनपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक जैनपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सासलपुर / नायब तहसीलदार म की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जाधोली तहसील सासलपुर व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 64 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	जाधोली	64	धीरराम बूचा हल्के सीताराम पि० और 1/4 सुरवराम चिरंजी पि हम्पू चमार 1/2 शिवनारायण पुत्र विशना जोकिन्दी उमेदी गंगावाई पुत्री विशना सुन्दर वेवा विशना हि 1/4 चमार सा. देह	धीरराम बूचा हल्के सीताराम पि० और 1/4 सुरवराम चिरंजी पि हम्पू जाठव 1/2 शिव नारायण पुत्र विशना जोकिन्दी उमेदी गंगावाई पुत्री विशना सुन्दर वेवा विशना हि 1/4 जाठव सा. देह

सासलपुर

07/06/18

(उपखण्ड अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत, कैम्प जैनपुर (जाधोली)

उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सासलपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री धीरराम बूचा हल्के सीताराम पि० और 1/4 को सूचनार्थ।

दिनांक :-